

Order No:- 368L/2021-22



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 15.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Smt. Nusrat Jahan Ruhi** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **532** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र **2021-22** में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	ADRIJA ROY	INDRANIL ROY, MOB-7044069365	5	NO. 1 SALT LAKE
2	ARATRIKA PAUL	SANJIT PAUL, MOB- 8910505523	1	BALLYGUNGE
3	AYAAN AZMI	TAIEBUL HAQUE SAHAJI, MOB- 9332511050	1	OF DUM DUM
4	NILESH KUMAR MONDAL	NILOY SANKAR MONDAL, MOB- 9163403721	1	AFS BARRACKPORE
5	MD. ARHAM IBRAR	IBRAR YUNUS, MOB- 8420861533	1	BALLYGUNGE
6	KAUSTAV MISHRA	SITIKANTHA MISHRA, MOB- 9674712661	7	BALLYGUNGE
7	SAMRIDDHI CHAKRABORTY	SOUMEN CHAKRABORTY, MOB- 9474093548, 9434205159	2	OF DUM DUM
8	MUSKAN SULTANA	MINHAJUDDIN MONDAL, MOB- 8001253698	1	OF DUM DUM
9	SADIYA FIRDOUS	SALAUDDIN KABIR, MOB- 8158875209	1	OF DUM DUM
10	SOHAG JAMAN	ASADUJMAN, MOB-7872479402	1	OF DUM DUM

A. J. Khan

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Smt. Nusrat Jahan Ruhi माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, KOLKATA संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)